न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

लीलाराम बनाम भूमिधारी

प्रार्थना पत्र 136 रा.भू.रा.अधि.

मु0न0 191/2021

1-02-2023 वकील प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी एवं प्रकरण का लोक अदालत में निस्तारण करने पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि पुराने भूमि ख.न. 355, 385, 391, 392, 405 किता 5 रकबा 2.15 हैक्ट. एवं भूमि ख.न. 59, 70, 132 किता 3 रकबा 1.11 हैक्ट. में फूला पुत्र दुर्जन 1/18 हिस्से का सह खातेदार था। उसने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्ट्री रामस्वरूप, शिवराम, लीलाराम पुत्रगण औकार हिस्सा 4/5, भेभा पुत्र दुर्जन हिस्सा 1/5 के अनुसार विक्रय कर दिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण सं. 174 दिनांक 28.07.1999 द्वारा तहसीलदार जी द्वारा स्वीकार किया गया है। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 439/508, 480/510, 485, 486, 500, 74, 86, 159 बने है। नई पुरानी जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल एवं रजिस्ट्री व ना0क0 पेश किये है। स्वीकृत ना0क0 सं. 174 दिनांक 28.7.99 का अमल का जमाबन्दी सम्वंत 2054 से 2057 में नोट लगा हुआ है। जमाबन्दी सं. 2058 से 2061 तैयार करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त ना0क0 का सहवन से जमाबन्दी मे अमल छोड दिया गया जिस कारण पूर्व खातेदार फूला पुत्र दुर्जन का नाम ही आदिनांक तक जमाबन्दी में चला आ रहा है। पटवारी हल्का छाजा की नांगल एवं तहसीलदार पाटन ने भी अपनी रिपोर्ट में मेरे कथनों को स्वीकार किया है जिससें मेरा दावा सावित होता है। अतः लोक अदालत की भावना को देखते हुये मेरा दावा स्वीकार किया जावें एवं फूला पुत्र दुर्जन के नाम दर्ज 1/18 हिस्सा हजफ किया जाकर ना0क0 सं. 174 अनुसार रामस्वरूप, शिवराम लीलाराम पुत्रगण औकार हिस्सा 4/5, भेभा पुत्र दुर्जन हिस्सा 1/5 रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार पाटन को आदेश दिये जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का छाजा की नांगल एवं तहसीलदार पाटन के अवलोकन से जाहिर है कि खातेदार फूला पुत्र दुर्जन द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपना 1/18 हिस्सा सम्पूर्ण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय किये जाने पर केतागण के नाम ना0क0 सं0 174 भरा जाकर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा स्वीकार किया गया है तथा उक्त ना0क0 का जमाबन्दी सम्वंत 2054 से 2057 में नोट भी दर्ज है किन्तु इससे बाद बनी जमाबन्दी चौसाला में उक्त ना0क0 अनुसार खातेदारी दर्ज नही कर पूर्व खातेदार फूला पुत्र दुर्जन के नाम ही खातेदारी दर्ज हुई है। जो की सहवन से दर्ज होना प्रतीत होता है। तहसीलदार पाटन द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार किया है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार पाटन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी